न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

वाद सं0–RM 06/2010.11

धारा–242 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम

गोपाल सिंह मुण्डा वगैरह .....आवेदक।

बनाम

चैता मुण्डा वगैरह .....विपक्षी।

आदेश

12.12.2020.

प्रस्तुत वाद में आवेदकगण 1. गोपाल सिंह मुण्डा पेशरान स्व० दुबराज सिंह मुण्डा वो मोसमात कमला देवी पति स्व० कहबर मुण्डा, जाति –मुण्डा दोनों साकिन–डेरो थाना–तमाड़ जिला–राँची के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विपक्षीगण चैता मुण्डा वो हरि सिंह मुण्डा दोनों पिता–स्व० कार्तिक मुण्डा वो देवी सिंह मुण्डा वो नीसिंह मुण्डा दोनों पिता–स्व० घासी मुण्डा सभी साकिन–डेरो थाना–तमाड़ जिला–राँची के द्वारा छल प्रपंच एवं नजायज तरीके से आवेदक की जमीन को हासिल कर लिया है। उन्होने अनुरोध किया है कि धारा–242 छो0 का0 अधि0 के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाया जाय।

जमीन विवरणी :–

मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
डेरो	तमाड़	16	221	58 डी0

आवेदक के आवेदन को पंजीकृत किया गया। वाद में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

आवेदक का कारण पृच्छा/लिखित बहस

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा/लिखित बहस में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि भू–वापसी मौजा–डेरो, थाना–तमाड, थाना संख्या–231, खाता संख्या–16 प्लॉट संख्या–221, रकवा–58 डीसमील भूमि के संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–242 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है।
2. यह है कि उपरोक्त जायदाद आवेदक की खतियानी संपति है, जो आर0 एस0 खतियान में वकास्त नाम लगान पाने वाला रंजीत सिंह मुण्डा खेंवट संख्या–6 दर्ज है। खेंवट संख्या–6 में रंजीत सिंह मुण्डा वल्द महासिन मुण्डा कौम–मुण्डा किसिम हक मुण्डारी खुँटकट्टी दर्ज है। उपरोक्त जायदाद मुण्डारी खुँटकट्टी है एवं आवेदक उसके खेंवटदार है। आवेदक मुण्डारी खुँटकट्टीदार रंजीत सिंह मुण्डा के वंशज है। जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है :– स्व0 रंजीत सिंह मुण्डा के पुत्र सोबरन सिंह मुण्डा वो दुखु सिंह मुण्डा वो बहादुर सिंह मुण्डा हुए। सोबरन सिंह मुण्डा के पुत्र दुबराज सिंह मुण्डा वो रामजीवन हुए। दुबराज सिंह मुण्डा के पुत्र गोपाल सिंह मुण्डा (आवेदक) हुए। रामजीवन पुत्र स्व0 कहबर सिंह मुण्डा हुए एवं स्व० कहबर सिंह मुण्डा की पत्नी कमली देवी (आवेदिका) हुए। दुखु सिंह मुण्डा के पुत्र दुर्जन सिंह मुण्डा वो अमीन सिंह मुण्डा वो रंजीत सिंह मुण्डा हुए। अमीन सिंह मुण्डा के पुत्र भजन सिंह मुण्डा हुए। बहादुर सिंह मुण्डा के पुत्र मंगल सिंह हुए एवं मंगल सिंह के पुत्र बहादुर सिंह वो बुधू सिंह वो डुगुर वो फुलचांद हुए। बहादुर सिंह के पुत्र लाल सिंह मुण्डा हुए।

12.12.2020

3. यह है कि उपरोक्त मौजा–डेरो, विशुद्ध रूप से मुण्डारी खुँटकट्टी मौजा है एवं सरकार में निहित नहीं है। जिसके जमीन्दार गोपाल सिंह मुण्डा है। खेंवट संख्या–6 का शेष आवेदक सरकार को अदा करते है तथा उपरोक्त जमीन का मालगुजारी रसीद अंचल कार्यालय तमाड़ से आवेदक के पिता दुबराज सिंह मुण्डा के नाम से निर्गत होता है। विपक्षी ने अपने जबाब के पारा–6 में उल्लेख किये है कि उपरोक्त जमीन को सन् 19/06/1975 ई0 को दुबराज सिंह मुण्डा से रैयती बन्दोवस्ती पट्टा से प्राप्त करने की बात करते है, जो सरासर गलत है। आवेदक के पिता ने विपक्षी को कभी भी उपरोक्त जमीन बन्दोवस्त नहीं किया है। उपरोक्त जमीन मुण्डारी खुँटकट्टी है तथा छो0 का0 अधि0 की धारा–240 के अनुसार मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन का हस्तानान्तरण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। विपक्षी के द्वारा छो0 का0 अधि0 की धारा–240 का उल्लंघन किया गया है। उन्होने छो0 का0 अधि0 की धारा–242 के तहत भूमि को वापसी हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है :–

1. आर0 एस0 खतियान की छायाप्रति।
2. आर0 एस0 खेंवट संख्या–6 की छायाप्रति।
3. मालगुजारी रसीद।
4. **J.C.R 2004 (3) Page No.253 To 254 W.P.(C) No. 204/2002 Decided on 16/04/2004** में पारित नियमन।

विपक्षी संख्या–1 एवं 2 का कारण पृच्छा

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि भू–वापसी भूमि को लेकर मुकदमा कालवाधित हो गया है। खारिज करने योग्य है।
2. यह है कि आवेदक के द्वारा मौजा–डेरो, थाना–तमाड, थाना संख्या–231, खाता संख्या–16 प्लॉट संख्या–221, रकवा–58 डीसमील भूमि के संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–242 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है। जो मुकदमा चलने योग्य नहीं है।
3. यह है कि उपरोक्त जमीन को आवेदक के पिता दुबराज सिंह मुण्डा के द्वारा मौजा–डेरो, थाना–तमाड, थाना संख्या–231, आर. एस. खाता संख्या–16, प्लॉट संख्या–221, रकवा–58 डीसमील भूमि घासीराय मुण्डा, कार्तिक मुण्डा, सबरन मुण्डा सभी पिता–सुकु मुण्डा को सन् 19/06/1975 ई० में रैयती बन्दोवस्ती पट्टा कर दिये है। जिसको प्राप्त करने के पश्चात विपक्षीगण के पिता के द्वारा जमीनदार से नामान्तरण कराकर लगातार मालगुजारी देते आ रहे है।
4. यह है कि उपरोक्त जमीन उबड़ खाबड़ था, जिसको काट छाँट कर बनाया गया है एवं आवासीय मकान बनाकर सपरिवार रह रहे है। आवेदक के आवेदन में किस तारीख को हस्तानान्तरण हुआ है, का उल्लेख नहीं है। भू–वापसी जमीन पर विपक्षी का शांति पूर्वक दखल है। उपरोक्त जमीन पर आवेदक का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। उनके द्वारा वाद खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

12.12.2020.	विपक्षीगण के द्वारा अपने समर्थन में कागजात दाखिल नहीं किया गया। उभय पक्ष के बहस को सुनने, दाखिल किये गये कारण–पृच्छा एवं दाखिल किये गए कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–डेरो, थाना–तमाड, थाना संख्या–231, खेंवट संख्या–6, खाता संख्या–16 प्लॉट संख्या–221, रकवा–58 डीसमील भूमि नाम लगान पाने वाला रंजीत सिंह मुण्डा के नाम से दर्ज है। मौजा–डेरो मुण्डारी खुँटकट्टी मौजा है। आवेदक खेंवट संख्या–6 के वंशज है। जिसके आधार पर दावा कर रहे है एवं विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि को आवेदक के पिता दुबराज सिंह मुण्डा से विपक्षी के पिता ने सन् 19/06/1975 ई० में रैयती बन्दोवस्ती पट्टा से प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है। प्रश्नगत भूमि मुण्डारी खुँटकट्टी जमीन है, जो हस्तानान्तरण/बेदखल नहीं किया जा सकता है। छो0 का0 अधि0 की धारा–240 का उलघंन किया गया है। अतः आवेदकगण के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को एक माह के अन्दर आवेदक को वापस कर दें। अंचल अधिकारी तमाड़ को आदेश दिया जाता है कि यदि विपक्षी एक माह के अन्दर प्रश्नगत भूमि को वापस नहीं करते है तो दखल–देहानी दिलाकर वापस दिलाना सुनिश्चित करें। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू (राँची)।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.04.07 11:15:21 +05:30
Location: 10.93.79.7